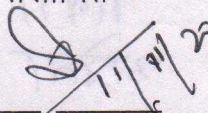
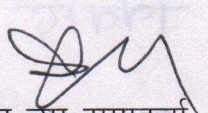


भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय घाटशिला
आदेश फलक

नामान्तरण अपील वाद संख्या:- 09/2020-21

श्री जयंत कुमार सांकी, पिता-स्व० अमुल्य रतन सांकी..... अपीलकर्ता,
-----बनाम-----

श्रीमती दोला सिंह सोलांकी, पति-प्रताप सिंह सोलांकी एवं 02 अन्य.....विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
<u>3.11.2020</u> <u>11.11.2020</u>	आवेदक श्री जयंत कुमार सांकी, पिता-स्व० अमुल्य रतन सांकी, ग्राम-नरसिंहगढ़, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम ने श्रीमती दोला सिंह सोलांकी, पति-प्रताप सिंह सोलांकी, (2) श्री हर प्रसाद सोलांकी उर्फ हर प्रसाद सिंह सोलांकी, पिता-स्व० कुंज बिहारी सांकी, दोनों ग्राम-नरसिंहगढ़, थाना-धालभूमगढ़ एवं (3) अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ (झारखण्ड सरकार) को पक्षकार बनाकर नामान्तरण मुकदमा संख्या:-44/R27/2020-21, दिनांक-18.08.2020 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर दाखिल नहीं होने के कारण Condonation Petition U/s-5 of limitation Act. के अन्तर्गत समर्पित की गयी है। वाद की प्रवृष्टि के लिए सुनवाई हेतु दिनांक-.....<u>10</u> /<u>12</u> /<u>2020</u> को तिथि निर्धारित की जाती है। तदनुसार आवेदनकर्ता को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- <u>10</u> / <u>12</u> / <u>2020</u> को रखें। लेखपित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला ।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला ।	आवेदन दाखिल दिनांक 11-11-2020 पक्षकारों को नोटिस दिनांक 10-12-2020
<u>10-12-20</u>	अभिलेख अर्ज-बर्षित किया गया। निर्गत नोटिस अर्जित किया गया है। इस आदेश के पत्रांक 287/का दिनांक 11-11-20 के द्वारा अंचल अधिकारी-धालभूमगढ़ के मांका तथा राजाबहाल वाद संख्या 44/R-27/20-21 के मुकदमे अभिलेख अंचल अधिकारी-धालभूमगढ़ के पत्रांक 724 दिनांक 7-12-20 के द्वारा प्रेषित	

10-12-2020.

मूल अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें अभिलेख-
और विचार प्राप्त। सुनवाई हेतु- वादी- प्रतिवादी- दो ओर
से कोई अपरिणति आया, पैसी नहीं दी
गई है।

अतः अगल पक्ष को खर्च भुगतान
हू- अपीलवाद के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु
दिनांक- 29-1-2021 को विधि- निर्धारित दिना
मान है।

न्यायाधीश-

अभि सुप्रीम
न्यायाधीश

29-01-21

अभिलेख उपस्थापित। अपिलकर्ता की
ओर से अधिवक्ता के माध्यम से
आवेदन दिया गया है कि मामले
में दोनों पक्षों के बीच आपसी
विवाद को सुलझा लिया गया है।
अतः वाद की अग्रेता कार्रवाई की
आवश्यकता नहीं है।